उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान आसीन बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र सं. 05/2023

निर्णय दिनांक - 20/05/2025

आसीन पुत्र गनी जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।

–मृतक

1/1 धामू बानो पत्नी आसीन जाति तैली निवासी वार्ड न. 04, सरदारशहर जिला चूरू।
1/2 जमीला पुत्री आसीन जाति तैली निवासी वार्ड न. 04, सरदारशहर जिला चूरू।
1/3 मोहम्मद सबीर पुत्र आसीन जाति तैली निवासी वार्ड न. 04, सरदारशहर जिला चूरू।
1/4 मोहम्मद रमजान पुत्र आसीन जाति तैली निवासी वार्ड न. 04, सरदारशहर जिला चूरू।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर, जिला चूरू, राजस्थान।
2. अब्दुल पुत्र सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
3. इकबाल पुत्र सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
4. खुशी मोहम्मद पुत्र सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
5. खातुन पुत्री सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
6. जन्नत पुत्री सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
7. मैना पत्नि सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
8. मो. जाफर पुत्र सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
9. मो. मुस्लिम पुत्र सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
10. मो. रमजान पुत्र सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
11. रहगत पुत्री सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।
12. सतार पुत्र सौरदीन उर्फ शौकीन जाति तैली निवासी वार्ड नं. 04, सरदारशहर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थिति –

1. श्री दिलीप सिंह पंवार वास्ते प्रार्थी
2. श्री रामदेव राजपुरोहित एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी संख्या 2 ता 12
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्तकारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 607 तादादी 2.0800 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल किता दो कुल तादादी 3.9500 हैक्टेयर रोही मौजा बिकमसरा तह० सरदारशहर जिला चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के पुराना खसरा नं, क्रमशः 599/320 एवं 601/418 थे। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की दादालाई विरासतन कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 607 तादादी 2.0800 हैक्टेयर बीकमसरा जाने वाले कटानी रास्ता से चिपते ही उत्तरी तरफ एवं खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर

बीकमसरा जाने वाले इसी कटानी रास्ता से चिपते ही दक्षिण तरफ स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि खसरा नं 607 व 791 के मध्य केवल बीकमसरा जाने वाला कटानी रास्ता ही गुजरता है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम के चिपते ही पश्चिम तरफ प्रार्थीगण के ही परिवार एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 की संयुक्त कृषि भूमि खेत खसरा नं. 790 तादादी 3.9700 हैक्टेयर बारानी प्रथम रोही मौजा बीकमसरा स्थित है, जिसके पुराना खसरा नं. 602/418 थे। प्रार्थीगण खेत खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम में सम्पूर्ण हिस्से पर एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 कृषि भूमि खेत खसरा नं. 790 तादादी 3. 9700 हैक्टेयर बारानी प्रथम पर संयुक्त रूप से काबिज काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 अपनी अपनी हिस्सा भूमि पर सदामत से काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं, प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 के मध्य सीमा पर बडी बडी सींव व पहचान चिन्ह बनाये हुए हैं, जो निर्विवाद है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 के कृषि भूमि के नाप व सीमाज्ञान के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम किया हुआ है। सन् 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा भू–अभिलेखों में बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू की गई एवं इसी बंदोबस्त प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सन् 2019 में खातेदारों की कृषि भूमि का नया नाप बीघा से हैक्टेयर में परिवर्तन कर दिया गया एवं राजस्व रिकॉर्ड में नये खसरा नम्बर जारी किये गये एवं इन्हीं खसरा नम्बरों के आधार पर नक्शों में भी तरमीम किया गया। इसी बंदोबस्त प्रक्रिया में भू–बंदोबस्त अधिकारीयों द्वारा भूल एंव सहवन से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम रोही मौजा बीकमसरा को तरमीम करते समय भूमि के नाप को सही रूप से नहीं दर्शाया एवं नक्शे में नाप के अनुसार तरमीम नहीं किया। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 791 बीकमसरा जाने वाले कटानी रास्ता के चिपते ही दक्षिण तरफ स्थित है एवं इसी अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाना था, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने भूल एवं सहवन से इसे उक्त रास्ते से दूर एवं बहुत ही कम नाप में दर्शाया है, जो कि सही नहीं है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त गलत तरमीम से प्रार्थीगण की कृषि भूमियों के मध्य काफी दूरी हो गई है तथा उसका खेत अलग अलग टुकडों में बंट गया है, जिससे उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। जब प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर के. सी.सी. बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तब प्रार्थी को ज्ञान हुआ कि राजस्व रिकार्ड में उसकी कृषि भूमि के नक्शे में गलत तरमीम हो रखी है। प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि की सही तरमीम करवाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 से मिला एवं उन्हें नक्शा तरमीम करवाने हेतु कहा व कहलवाया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 12 ने एकराय होकर प्रार्थी को कहा कि आप कानूनी रूप से नक्शों में संशोधन करवा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जिस पर प्रार्थीगण नक्शों में संशोधन करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने न्यायालय में जाने के लिये कहा, लिहाजन यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड कृषि भूमि खेत खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम रोही मौजा बिकमसरा तह. सरदारशहर जिला चूरू को राजस्व नक्शे में बिकमसरा जाने वाले कटानी रास्ता खसरा नं. 663 के चिपते ही दक्षिण तरफ लगातार दर्शाया जावें एवं इसी अनुसार शुद्धिकरण कर सही तरमीम करने के आदेश करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 12 की ओर से श्री रामदेव राजपुरोहित ने वकालतनामा व इकबाल

जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने संशोधित शीर्षक व वकालतनामा 1/1 ता 1/4 का पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाबदावा मय फर्द मौका प्रस्तुत कर जवाबदावा में अंकित किया कि "बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार नक्शे में हाल खसरा नम्बर 791 तादादी 1.87 हैक्टेयर की तरमीम सहवन से गलत हुई है जो मौका फर्द अनुसार शुद्ध की जानी उचित है।" प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। प्रार्थीगण ने साक्ष्य पेश नहीं कर बहस की इस्तदुआ चाही।

बहस पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया और कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्तकारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 607 तादादी 2.0800 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम रोही मौजा बिकमसरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के पुराना खसरा नं, क्रमशः 599/320 एवं 601/418 थे। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की दादालाई विरासतन कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थी का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है। सन् 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा भू–अभिलेखों में बंदोबस्त प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सन् 2019 में खातेदारों की कृषि भूमि का नया नाप बीघा से हैक्टेयर में परिवर्तन कर दिया गया एवं राजस्व रिकॉर्ड में नये खसरा नम्बर जारी किये गये एवं इन्हीं खसरा नम्बरों के आधार पर नक्शों में भी तरमीम किया गया। इसी बंदोबस्त प्रक्रिया में भू–बंदोबस्त अधिकारीयों द्वारा भूल एंव सहवन से प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम रोही मौजा बीकमसरा को तरमीम करते समय भूमि के नाप को सही रूप से नहीं दर्शाया एवं नक्शे में नाप के अनुसार तरमीम नहीं किया। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 791 बीकमसरा जाने वाले कटानी रास्ता के चिपते ही दक्षिण तरफ स्थित है एवं इसी अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाना था, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने भूल एवं सहवन से इसे उक्त रास्ते से दूर एवं बहुत ही कम नाप में दर्शाया है, जो कि सही नहीं है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त गलत तरमीम से प्रार्थी की कृषि भूमियों के मध्य काफी दूरी हो गई है तथा उसका खेत अलग अलग टुकडों में बंट गया है। राजस्व रिकार्ड कृषि भूमि खेत खसरा नं. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम रोही मौजा बिकमसरा तह. सरदारशहर जिला चूरू को राजस्व नक्शे में बिकमसरा जाने वाले कटानी रास्ता खसरा नं. 663 के चिपते ही दक्षिण तरफ लगातार दर्शाया जावें एवं इसी अनुसार शुद्धिकरण कर सही तरमीम करने के आदेश करने का निवेदन किया। प्रार्थी के तथ्यों का खण्डन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के विचारण में यह तथ्य उभर कर आया कि पक्षकारान प्रार्थीगण के खेतों के नक्शो को मौके व कब्जा काश्त के विपरित तरमीम किया गया है। यह तथ्य प्रार्थीगण प्रमाणित करने में सफल रहा है। वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थीगण के कथनों का समर्थन करते हुए डिक्री करने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण, वकील अप्रार्थी सं0 2 ता 12 व पैरोकार राज के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों व नक्शों का अवलोकन किया गया। जिससे यह

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

तथ्य प्रमाणित है कि पक्षकारान के खेतों के नक्शो की आकृति व संरचना भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे में तरमीम करते समय सहवन से मौके के विपरीत तरमीम कर दी है। फलस्वरूप प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के नक्शों को दुरूस्त करवाकर सही तरमीम करवाने के अधिकारी है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 131 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार सरदारशहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बीकमसरा तहसील सरदारशहर में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख. न. 791 तादादी 1.8700 हैक्टेयर बारानी प्रथम रोही मौजा बिकमसरा तह. सरदारशहर को राजस्व नक्शे में बिकमसरा जाने वाले कटानी रास्ता खसरा नं. 663 के चिपते ही दक्षिण तरफ लगातार दर्शाया जावे एवं उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जावें। भूमि रहन यथावत रहेगी।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)